न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 4872 / 2005 / भीलवाडा

श्री सत्य नारायण पुत्र श्रीराम प्रसादचोखढा निवासी आजाद नगर जिला भीलवाडा वादी / अपीलार्थी

बनाम

श्री नंदा पुत्र श्री गोकुल जाट निवासी पाथलियास तहसील व जिला भीलवाडा प्रतिवादी–उत्तरदाता

खण्ड पीठ
श्री चिरंजी लाल दायमा,सदस्य
श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
(2) श्री मदनलाल गुर्जर अभिभाषक ,रैस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 17–1–2019**

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भीलवाडा के निर्णय व डिक्री दिनांक 24–8–2005 जो कि अपील संख्या 131 / 03 में पारित किया गया है , के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

दिनांक 14–5–2010 को उभयपक्षकरान के अभिभाषकगण द्वारा खण्ड पीठ के समक्ष एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन किया गया था कि इस प्रकरण में पक्षकरान के मध्य राजीनामा होने जा रहा है। पक्षकरान राजनामा परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते है। अतः परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा की पत्रावली संख्या 183 / 87 जो राजस्व मण्डल में प्रस्तुत अपील के साथ संलग्न है, वापिस भिजवाई जावे। मण्डल की खण्डपीठ द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर आदेश दिये गये कि परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा की पत्रावली वापिस भिजवाई जावे।

इसके उपरांत दिनांक 16–1–19 को उभयपक्षकारान के अभिभाषकागण द्वारा अवगत कराया है कि परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा की पत्रावली संख्या 183 / 87 बाद राजीनामा पुनः मण्डल में विचाराधीन अपील में संलग्न हो गयी है। चूँकि राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28–5–10 को तस्दीक किया जा चुका है जिससे मण्डल के समक्ष विचाराधीन अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण को अपील पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूँकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा में राजीनामा दिनांक 28–5–2010 को तस्दीक किया जा चुका है

<u>**अपील/डिक्री/टीए/4872/2005/भीलवाडा**</u>

जिससे मण्डल के समक्ष विचाराधीन अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तुत राजीनामा के अनुसरण में निर्णय पारित करें।

अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड को वापिस भिजवाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य

(चिरंजी लाल दायमा)
सदस्य